न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 98/2016 GCMS No.—2016/00028

1.मालूराम पुत्र स्व. हरिनारायण निवासी खिरणी फाटक झोटवाडा, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2.मदनलाल पुत्र स्व. हरिनारायण निवासी खिरणी फाटक झोटवाडा, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
3. शंकर लाल पुत्र स्व. हरिनारायण निवासी खिरणी फाटक झोटवाडा, तहसील जयपुर जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1.जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
3. ज्ञान सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 1, हरि नगर, खिरणी फाटक के पास, जयपुर। (मृतक दौराने अपील)
3/1 अजय सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह
3/2 अनमोल पुत्र ज्ञान सिंह
3/3 किरण कंवर पत्नी श्री ज्ञान सिंह

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्व भू अधिनियम विरूद्ध आज्ञा सुयोग्य तहसीलदार जयपुर नामान्तकरण संख्या 986 दिनांक 26.08.2011 वाके ग्राम झोटवाडा, तहसील जयपुर।

———————

उपस्थितः–
1. श्री नरेश कुमार जैन व वीरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश वशिष्ठ अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से।
4. श्री विजय कुमार शर्मा रेस्पा0 संख्या 3/1 लगायत 3/3 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.12.2022

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार जयपुर के निर्णय दिनांक 26.08.2011 जिससे नामान्तरकरण संख्या 986 ग्राम झोटवाडा, जिला जयपुर रेस्पाडेन्ट नं 1 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.09.2011 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री ओमप्रकाश वशिष्ठ अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पा0 संख्या 3/1 लगायत 3/3 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय शर्मा उपस्थित आये। जिला कलक्टर (भू.अ.) जयपुर से नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार जयपुर द्वारा दिनांक 26.08.2011 को नामान्तकरण संख्या 986 पर पारित आदेश वस्तुस्थिति, विधि विरूद्ध एवं अधिकार क्षेत्र के बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार जयपुर द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई नोटिस अथवा अवसर नहीं दिया। अपीलाधीन भूमि के खातेदार हरिनारायण पुत्र लादू की मृत्यु दिनांक 17.01.2003 को हो चुकी है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व ही खातेदार हरिनारायण की मृत्यु हो चुकी थी। अपीलांट्स स्व. हरिनारायण के वारिसान है जिनको अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तहसीलदार जयपुर के समक्ष पूर्व में अपीलांट्स ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसके खाते में शेष बची 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध में अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे सुयोग्य तहसीलदार जयपुर ने अपनी आज्ञा दिनांक 28.10.2004 के द्वारा खारिज कर दिया। इस आदेश की अपील अपीलांट्स ने न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर रखी है, जो विचाराधीन है। उक्त अपील के विचाराधीन रहते हुए नये सिरे से तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही करना विधि विरूद्ध है। जब सक्षम उच्च न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन है तो तहसीलदार जयपुर की न्यायिक जिम्मेदारी थी कि वे अपील के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं करे परंतु उन्होनें ऐसा न कर आज्ञा जैर अपील पारित करने में क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कार्य किया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष बउनवानी हरिनारायण बनाम म्यूचल हाउसिंहग कॉपरेटिव सोसाईटी विचाराधीन है। उक्त दावे तहसीलदार जयपुर स्वयं पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने में न्यायिक सिद्धांतो की अवहेलना की है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार जयपुर द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 986 दिनांक 26.08.2011 को निरस्त फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनो समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2017 RRT(2) 1047 S.C., 2001 DNJ (2) 282 S.C. , 1998DNJ(2) 435 S.C, 1985 RRD 170, 2009 RRT(2) 816, 2009 RRT (2) 1225, 1995 RRD 120, 1999 RBJ 481, 1973 RRD 13, 2000 RRD 168** आदि पेश किये।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण धारा 90बी एल.आर.एक्ट के अर्न्तगत प्राधिकृत अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण जोन–6 के निर्णय दिनांक 27.05.2011 के आधार पर तस्दीक किया गया है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने यह भी दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दिन स्वीकार किया है, उस दिन किसी न्यायालय का स्थगन आदि भी विवादित भूमि पर नहीं था। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

प्रथम के समक्ष पेश किये गये दावे में जयपुर विकास प्राधिकरण भी पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण प्राधिकृत अधिकारी जेडीए जोन 4 जयपुर के आदेश के आधार पर स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 3 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अपीलांट्स द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 90बी के तहत की कार्यवाही के विरूद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील पेश की गयी जो खारिज कर दी गयी। संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने विचाराधीन है। जब किसी आदेश की पालना में नामान्तकरण तस्दीक किया जाता है तो पक्षकार को सुना जाना आवश्यक नहीं है। अपीलाधीन भूमि मौके पर आबादी है एवं जिसमें जे.डी.ए. द्वारा पट्टे दिये जा चुके है। है। अपीलाधीन भूमि के अकृषि उपयोग होने के आधार पर खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर नियमानुसार अपने आदेश दिनांक 27.05.2011 को अपीलाधीन भूमि को राज्य हित में पुर्नग्रहण करने के आदेश प्रदान किये। अपील अपीलांट् खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण छायाप्रति का आद्योपान्त का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण उपायुक्त प्राधिकृत अधिकारी जोन–6 के आदेश दिनांक 25.07.2011 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.08.2011 को भरा जाकर तहसीलदार जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे तहसीलदार जयपुर द्वारा मुताबिक निर्णय दिनांक 02.12.2001 व दिनांक 25.07.2011 के अनुसार नामान्तकरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दिनांक 26.08.2011 को स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 25.07.2011 से अपीलाधीन भूमि के संबंध में 90बी की कार्यवाही की गयी एवं खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर भूमि को राज्य हित में पुर्नग्रहण के आदेश किये गये। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा ऐसार कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि उक्त 90बी की कार्यवाही किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज की गयी हो इसलिए उपायुक्त प्राधिकृत अधिकारी जोन–6 जेडीए जयपुर के आदेश आदिनांक को अस्तित्व में होना जाहिर होता है। पत्रावली पर उपलब्ध

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन जयपुर 6 जे.डी.ए. जयपुर द्वारा 90बी के प्रकरण संख्या 13/2001 में परित निर्णय दिनांक 25.07.2011 की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि 90बी की कार्यवाही में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिया गया है तथा अपीलांट मालूराम द्वारा जवाब भी पेश किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स को सुनवाई एवं जवाब का अवसर दिया जाकर प्राधिकृत अधिकारी जेडीए जयपुर द्वारा 90बी की कार्यवाही की गयी जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करते समय अपीलाधीन भूमि पर किसी प्रकार का सक्षम न्यायालय स्थगन आदेश होना भी अधिवक्ता अपीलांट द्वारा जाहिर नहीं किया गया। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। इसलिए उपायुक्त प्राधिकृत अधिकारी जोन–6 जेडीए के आदेश दिनांक 25.07.2011 की पालना में तस्दीक किये अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार बस्सी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर